फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रकाश विपक्षी : श्री मांगीलाल

किस्म मुकदमा – 88, 188 रा0का0अ0 पत्रावली संख्या : 62/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :– 05.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा उपस्थित होकर जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा पैतृक सम्पति में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपना हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2051 से 54 प्रदर्श 2 पेश किये। वादी द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री प्रकाश का पेश किया। वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कालु पिता हरीराम के नाम पर दर्ज थी जो दस्तोवज प्रदर्श 2 से स्पष्ट होता है। हरिराम की मृत्यु के बाद भूमि विरासत से उनके वारिसान मोहनलाल, मांगीलाल, मादुलाल के नाम पर दर्ज हुई। वादी द्वारा अपने पिता मांगीलाल के नाम दर्ज भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि होना जाहिर होता हैं एवं वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का वादी को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी पैतृक सम्पति के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 762, 763, 764, 765, 766, 770, 771 किता 7 रकबा 2.0882 हेक्टेयर भूमि में खातेदार मांगीलाल पिता कालु नाई के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में से वादी को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 62/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00123

उनवान

1. श्री प्रकाश पिता मांगीलाल नाई निवासी आसोलिया की मादडी हाल एम.डी.एस. स्कूल के पीछे, कृष्णा विहार रेबारियों का गुडा तह. बडगांव।

........वादी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता कालु नाई निवासी आसोलिया की मादडी तह. मावली।
2. श्री नारायण पिता मांगीलाल नाई निवासी आसोलिया की मादडी तह. मावली।
3. श्रीमती कैलाशदेवी पिता मांगीलाल पत्नी पुरण नाई निवासी चंगेडी तह. मावली।
4. श्रीमती रेखा पुत्री मांगीलाल पत्नी भवानीशंकर नाई निवासी दरिबा तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा तह. मावली।
7. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 762, 763, 764, 765, 766, 770, 771 किता 7 रकबा 2.0882 हेक्टेयर भूमि में खातेदार मांगीलाल पिता कालु नाई के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में से वादी को 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.09.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:08 IST
Reason: SelfAttested